महोबा पुलिस

दिनांक- 17.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 70/26

सर्किल- चरखारी, थाना- श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 45 क्वार्टर देशी शराब सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम एवं बरामदगी/गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष द्वारा गठित टीम के उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित, उ0नि0 संदीप विमल एवं का0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त शारुख पुत्र पप्पू, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बजरंग कॉलोनी, कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को कुंजर मंदिर तिगैला के पास, मु0 दाऊपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नीली बोरी में कुल 45 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब (ब्रांड "झूम") बरामद की गई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना श्रीनगर में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 73/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

1. उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित
2. उ0नि0 संदीप विमल
3. का0 सुरेन्द्र कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त :

शारुख पुत्र पप्पू, उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी: बजरंग कॉलोनी, कस्बा व थाना श्रीनगर, जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण :

- एक अदद नीली बोरी में 45 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब (ब्रांड "झूम")

दिनांक- 17.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 71/26

महोबा पुलिस

जनपद महोबा में विवेचना अधिकारियों को टैबलेट एवं डिजिटल ऐप्स के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किय गया

आज दिनांक 17.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के आदेशानुसार रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभा कक्ष में जनपद के समस्त थानों के उपनिरीक्षक (विवेचना अधिकारी) हेतु एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण DC CCTNS सहायक उपनिरीक्षक रहमान रशीद एवं सहायक उपनिरीक्षक अंकुर जायसवाल की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा क्रय किए गए टैबलेट के सुचारु एवं तकनीकी उपयोग के संबंध में अधिकारियों को दक्ष बनाना था। इस दौरान प्रतिभागी अधिकारियों को टैबलेट में आवश्यक एप्लिकेशन इंस्टॉल कराते हुए उनके संचालन, उपयोगिता एवं फील्ड में उनके व्यावहारिक प्रयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित ऐप्स का विस्तृत परिचय एवं उपयोग बताया गया-

ई-साक्ष्य (e-Sakshya): डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण, सुरक्षित संधारण एवं न्यायालय में प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी एप।

UP COP: आमजन की शिकायत, आपातकालीन सहायता एवं पुलिस सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला एप, जिससे पुलिस-जन संवाद मजबूत होता है।

भाषिणी (Bhashini): विभिन्न भाषाओं के अनुवाद एवं वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधा प्रदान कर विवेचना में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायक।

e-Summons: न्यायालयीन समन की डिजिटल तामील एवं ट्रैकिंग के लिए विकसित एप, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता व गति आती है।

यक्ष ऐप: विवेचना एवं पुलिस कार्यवाही से संबंधित डेटा प्रबंधन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग को सरल एवं प्रभावी बनाने वाला एप।

कार्यक्रम के दौरान सभी विवेचना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे इन डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग कर विवेचना की गुणवत्ता एवं गति में सुधार लाएं, जिससे पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

अंत में उपस्थित अधिकारियों को उक्त ऐप्स के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए तथा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर बल दिया गया।

दिनांक- 17.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 72/26

महोबा पुलिस

“नशे में वाहन चलाने वालों पर महोबा पुलिस की सख्ती : ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ अभियान में 65 चालान, सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक कार्रवाई”

- जनपद महोबा में सड़क सुरक्षा, यातायात अनुशासन एवं कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में दिनांक 16.05.2026 को जनपदभर में विशेष “ड्रंक एंड ड्राइव” अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जनपद के प्रमुख टोल प्लाजा एवं मुख्य मार्गों पर पुलिस टीमों द्वारा सघन चेकिंग अभियान संचालित किया गया।
- अभियान विशेष रूप से कबरई, खन्ना एवं महोबकंठ क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों पर केंद्रित रहा, जहां Breath Analyzer के माध्यम से यातायात पुलिस के साथ वाहन चालकों की जांच की गई। जांच के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
- सायंकालीन चेकिंग अभियान के दौरान बिना हेल्मेट वाहन चलाने वालों, बिना नंबर प्लेट वाहनों, तीन सवारी बैठाकर वाहन संचालन करने वालों, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वालों, सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों तथा संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की गहन जांच एवं पूछताछ की गई।
- अभियान के दौरान “ड्रिंक एंड ड्राइव” एवं "प्रेशर हॉर्न" संबंधी कुल 65 चालान किए गए, जिन पर लगभग ₹6 लाख 50 हजार/- का शुल्क अधिरोपित किया गया। महोबा पुलिस की इस कार्रवाई से यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों में स्पष्ट रूप से सख्ती का संदेश गया है।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर गश्त एवं प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित करें तथा कानून-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखें।
- इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु क्रिटिकल कॉरिडोर टीम द्वारा दुर्घटना संभावित स्थलों, शार्प टर्न एवं अन्य संवेदनशील बिंदुओं को चिन्हित कर उनमें आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही एवं पुलिस की प्रभावी तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है।
- महोबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेल्मेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें तथा किसी भी स्थिति में नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं। सुरक्षित यातायात ही सुरक्षित जीवन का आधार है।

दिनांक- 17.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 73/26

महोबा पुलिस

जनपद महोबा के समस्त थाना/कार्यालय पर व्यापक स्वच्छता एवं शस्त्र रख-रखाव अभियान संचालित

- पुलिस अधीक्षक महोबा शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों, कार्यालयों एवं पुलिस बैरकों में स्वच्छता एवं सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया गया।
- उक्त अभियान के अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना परिसरों, कार्यालयों, बैरकों, शस्त्रागारों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे।
- निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी थानों द्वारा समन्वित रूप से अभियान चलाते हुए थाना परिसर, आवासीय बैरकों, कार्यालय कक्षों एवं सार्वजनिक स्थलों की व्यापक साफ-सफाई की गई। साथ ही शस्त्रों की विधिवत साफ-सफाई एवं रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए उनकी कार्यक्षमता को बनाए रखने हेतु आवश्यक निरीक्षण भी किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पुलिस परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखना, कर्मियों में अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करना तथा कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण स्थापित करना है।
- महोबा पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्वच्छता एवं रख-रखाव के मानकों का निरंतर पालन किया जाए, जिससे जनपद में बेहतर पुलिसिंग के साथ-साथ एक अनुशासित एवं प्रभावी कार्यसंस्कृति विकसित हो सके।
- ☞ स्वच्छता, अनुशासन एवं तत्परता—महोबा पुलिस जनसेवा एवं सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

दिनांक- 17.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 74/26

महोबा पुलिस

थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

आज दिनांक 17.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के क्रम में थाना श्रीनगर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेजप्रताप पुत्र विश्वनाथ अहिरवार एवं उनकी पत्नी श्रीमती कंचन निवासीगण मुहल्ला भैरवगंज, कस्बा व थाना श्रीनगर, जनपद महोबा द्वारा दूरभाष के माध्यम से थानाध्यक्ष श्रीनगर को सूचित किया गया कि उनका पुत्र भानुप्रताप उम्र लगभग 13 वर्ष घर से कहीं चला गया है तथा वापस नहीं लौटा है।

उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बालक की शीघ्र बरामदगी हेतु थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में हे0का0 फूलचन्द्र को संभावित स्थानों की तलाश हेतु जनपद झांसी रवाना किया गया।

हे0का0 फूलचन्द्र द्वारा अथक प्रयास एवं सक्रिय खोजबीन के फलस्वरूप गुमशुदा बालक भानुप्रताप को झांसी रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर थाना श्रीनगर लाया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए बालक को उसके पिता तेजप्रताप के सुपुर्द किया गया।

बालक को सकुशल पाकर परिजनों द्वारा महोबा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया। महोबा पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु सतत प्रयास जारी हैं।

महोबा पुलिस

दिनांक- 17.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 75/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सर्किल कुलपहाड़ अंतर्गत थाना महोबकंठ एवं पनवाड़ी के उ0नि0/विवेचकों का अर्दली रूम आयोजित, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने एवं लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

आज दिनांक 17.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा सर्किल कुलपहाड़ अंतर्गत थाना महोबकंठ एवं पनवाड़ी के समस्त उ0नि0/विवेचकों का अर्दली रूम आयोजित किया गया। अर्दली रूम में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ व प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी सहित दोनों थानों के समस्त विवेचक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर प्रचलित अभियानों, अपराध नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, लंबित विवेचनाओं, लंबित प्रार्थना पत्र/IGRS, शस्त्र लाइसेंस प्रकरणों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई। अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रत्येक प्रकरण की विवेचना प्रगति का विस्तारपूर्वक अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधिसम्मत निस्तारण हेतु स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिए गए।

उन्होंने निर्देशित किया कि विवेचनाओं में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी तथा पारदर्शिता, साक्ष्य संकलन की गुणवत्ता, पीड़ितों के हितों की रक्षा एवं विधिक प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही विवेचकों को प्रत्येक प्रकरण में उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता एवं प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने के निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में नियमित पैदल गश्त, सघन रात्रि गश्त तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो एवं आमजन में सुरक्षा का भाव और अधिक सुदृढ़ बना रहे।

साथ ही डिजिटल कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु संबंधित पोर्टलों/ऐप्स पर शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध अद्यतन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान पीआरवी वाहनों का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, जिसमें वाहन की कार्यशीलता, उपकरणों की उपलब्धता, संचार व्यवस्था एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता का जायजा लिया गया तथा त्वरित प्रतिक्रिया (Response Time) को और बेहतर बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।